रजिस्ट्री सं० डी० 222

REGISTERED No. D. 222

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 23] नई दिल्ली, शनिवार, जून 3, 1972/ज्येष्ठ 13, 1894

No. 23] NEW DELHI, SATURDAY, JUNE 3, 1972/JYAISTHA 13, 1894

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके ।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

भाग II—खण्ड 3—उपखण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और (संघ राज्य क्षेत्रों के प्रशासनों को छोड़कर) केन्द्रीय प्राधिकारियों द्वारा जारी किये गये विधि के अन्तर्गत बनाये और जारी किये गये साधारण नियम (जिनमें साधारण प्रकार के आदेश, उप-नियम आदि सम्मिलित हैं)।

General Statutory Rules (including orders, bye-laws etc. of a general character) issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by Central Authorities (other than the Administrations of Union Territories).

MINISTRY OF LAW AND JUSTICE

(Department of Legal Affairs)

New Delhi, the 2nd May 1972

G.S.R. 633.—In exercise of the powers conferred by clause (c) of section 29 of the Code of Civil Procedure, 1908 (5 of 1908) the Central Government hereby declares that the provisions of the said section shall apply to the High Court of Sikkim in the exercise of its civil jurisdiction and all Civil and Revenue Courts in Sikkim for a period of five years with effect from the 3rd May, 1972.

[No. F.12(2)/67-J.]

विधि और न्याय मंत्रालय

(विधि कार्य विभाग)

नई दिल्ली, 2 मई, 1972

सा० का० नि० 633.—सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 (1908 का 5) की धारा 29 के खण्ड (ग) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा घोषणा करती है कि उक्त धारा के उपबंध, 3 मई, 1972 से, पांच वर्ष की अवधि के लिए, सिक्किम के उच्च न्यायालय को, उसकी सिविल अधिकारिता के प्रयोग में और सिक्किम के सभी सिविल और राजस्व न्यायालयों को लागू होंगे।

[सं० फा० 12(2)/67-न्या०]

New Delhi, the 5th May 1972

G.S.R. 655.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following rules further to amend the All India Radio (Class III posts) Recruitment Rules, 1964, namely:—

1. (1) Thesee rules may be called the All India Radio (Class III posts) Recruitment (*Third amendment*) Rules, 1972.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Schedule to the All India Radio (Class III posts) Recruitment Rules, 1964, after Serial No. 69 and the entries relating thereto, the following shall be added, namely:—

1	2	3	4	5	6	7	8	9
"70	Hindi Translator Grade II	General Central Service class III Ministerial non-gazetted	Rs. 210-10-290-15-320-EB-15-425	By deputation/transfer, failing which by direct recruitment				Between 21-30Yrs.

10	11	12	13
Essential Degree of a recognised University with Hindi and English as elective subjects. At least two years experience of translation from English to Hindi and *vice-versa*	Two years	Not applicable	In case of deputation/transfer selection from Upper Division Clerks or Lower Division Clerks of the Central Secretariat Clerical Service with five years service as Upper Division Clerks or Lower Division Clerks and possessing the qualifications indicated in Column 10. (Period of deputation ordinarily not exceeding three years).

[No 1/11/71—B (A)]

A. V. NARAYANAN, Under Secy.

नई दिल्ली, 5 मई, 1972

जी० एस० आर० 655 :—संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुये, राष्ट्रपति आकाशवाणी (तृतीय श्रेणी पद) भर्ती नियमावली, 1964 में अतिरिक्त संशोधन करने के लिए एतद्द्वारा निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :—

1. (1) इन नियमों को आकाशवाणी (तृतीय श्रेणी पद) भर्ती (तृतीय संशोधन) नियमावली, 1972 कहा जा सकेगा।

(2) ये नियम सरकारी राजपत्र में प्रकाशित होने की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. आकाशवाणी (तृतीय श्रेणी पद) भर्ती नियमावली, 1964 की अनुसूची में क्रम संख्या 69 तथा इससे सम्बन्धित प्रविष्टियों के बाद निम्नलिखित जोड़ा जाएगा, अर्थात् :—

पदों का नाम				भर्ती की पद्धति तथा जिस अनुपात से रिक्तियां भरी जानी हैं			
क्रम संख्या	पद का नाम	पद का वर्गीकरण स्वरूप तथा दर्जा	पद का वेतनमान	सीधी भर्ती द्वारा	पदोन्नति द्वारा		स्थानान्तरण द्वारा
					प्रवरण	वरिष्ठता/ योग्यता ।	
1	2	3	4	5	6	7	8
"70	हिन्दी अनुवादक ग्रेड-2	सामान्य केन्द्रीय सेवा, तृतीय श्रेणी, लिपिकवर्गीय, अराजपत्रित ।	210–10–290–15–320–द०रो०–15–425 रु०	प्रतिनियुक्ति/स्थानान्तरण द्वारा, इसके न हो सकने पर सीधी भर्ती द्वारा ।			

सीधी भर्ती के लिए अर्हतायें, आदि		परिवीक्षा की अवधि	पदोन्नति/स्थानान्तरण के द्वारा भर्ती के लिये अर्हतायें	
आयु सीमा	शैक्षणिक तथा अन्य अर्हतायें		सीधी भर्ती के लिए जो आयु सीमा और शैक्षणिक अर्हतायें हैं, क्या वे पदोन्नति/स्थानान्तरण द्वारा की जाने वाली भर्ती के लिए भी लागू होंगी ।	वे ग्रेड/स्रोत जिनसे पदोन्नति/स्थानान्तरण किया जाना है
9	10	11	12	13
21 और 30 वर्ष के बीच ।	आवश्यक : हिन्दी तथा अंग्रेजी ऐलेक्टिव विषयों के साथ किसी मान्यता-प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक की उपाधि । अंग्रेजी से हिन्दी में तथा हिन्दी से अंग्रेजी में अनुवाद का न्यूनतम 2 वर्ष का अनुभव ।	2 वर्ष	लागू नहीं होता ।	प्रतिनियुक्ति/स्थानान्तरण की अवस्था में केन्द्रीय सचिवालय लिपिक सेवा के उन उच्च श्रेणी लिपिकों या अवर श्रेणी लिपिकों में से चयन जिनकी उच्च श्रेणी लिपिक या अवर श्रेणी लिपिक के रूप में 5 वर्ष की सेवा हो, और जो कालम 10 में निर्दिष्ट अर्हतायें रखते हों । (प्रतिनियुक्ति की अवधि सामान्यत: 3 वर्ष से अधिक नहीं होगी) ।

[सं० 1/11/71-बी (ए)]

ए० वी० नारायणन,
अवर सचिव ।